38

संख्याः 17/NP/XXIV-3/11/02(22)2011

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, देहरादून, दिनांकः ३०दिसम्बर, 2011

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2011–12 में माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अवचनबद्ध मदों में अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः अर्थ–1/67375/5क(01)/पुनर्विनियोग/2011–12 दिनांक 12 दिसम्बर 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार **अनुदान संख्या–11–आयोजनेत्तर के अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों के अधीन अयोजनेत्तर पक्ष में रु0 2135 हजार (रूपये इक्कीस लाख पैतीस हजार मात्र)** की धनराशि को आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आबंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्ता के अधीन किया जायेगाः–

1– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

2– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

3– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

4– आबंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय।

5– मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

क्रमशः..2....

(38)



6– व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

7– स्वीकृत धनराशि की जिलावार फॉट सम्बन्धित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9– किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

10– बजट मैन्युवल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जानी वाली सूचना समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

11– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम सग्रह खण्ड–पॉच भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12– धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारणी बनाकर किया जायेगा तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जायेगी।

13– स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय यथाआवश्यकता मितव्ययिता को ध्यान में रखकर नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11–आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक "2202–सामान्य शिक्षा"–02–माध्यमिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 63**(NP)** /XXVII(3)/2011, दिनांक: 28.12.2011 में प्राप्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

**संलग्नक– यथोपरि।**

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव।

क्रमशः...3....

संख्याः 17(1) /XXIV-3/11/02(22)2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव–मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव–सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
6– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
10– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
11– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
12– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13– अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2, 4 एवं 5 उत्तराखण्ड शासन।
14– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0 तिवारी)
अनु सचिव।

29/12/2011

शासनादेश संख्याः 17/NP/XXIV-3/11/02(22)2011, दिनांकः दिसम्बर ,2011 का संलग्नक

(धनराशि हजार रुपये में)

| लेखा शीर्षक | | |
|---|---|---|
| 2202– | सामान्य शिक्षा –आयोजनेत्तर | |
| 02– | माध्यमिक शिक्षा | |
| 001– | निदेशन तथा प्रशासन | |
| 03– | निदेशालय का अधिष्ठान | |
| | 11 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई | 20 |
| | 12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 300 |
| | 16 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 193 |
| | 18 प्रकाशन | 17 |
| | 19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 1000 |
| | 25 लघु निर्माण कार्य | 100 |
| | 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | 200 |
| | 29 अनुरक्षण | 75 |
| | 42 अन्य व्यय | 230 |
| | योग, 03 | **2135** |
| | योग, 001 | **2135** |

(इक्कीस लाख पैंतीस हजार मात्र)

(जी0पी0 तिवारी)
अनु सचिव।

23/12/2011